1

बिहार सरकार
परिवहन विभाग

पत्रांक–01/08–39/2020, परि0,2096 2349

प्रेषक,

सचिव,
परिवहन विभाग, बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी जिलाधिकारी,
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
बिहार।

पटना, दिनांक– 30.04.2020

विषय :– **COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु लागू लॉकडाउन की स्थिति में राज्य के बाहर से आने वाले अप्रवासी मजदूरों को बिहार की सीमा से गृह जिला पहुँचाये जाने हेतु परिवहन व्यवस्था के सम्बन्ध में।**

प्रसंग:– **आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक–01/प्रा0आ0(COVID-19)–15/2020/1520/ आ0प्र0, पटना दिनांक–30.04.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि COVID-19 के संक्रमण की रोकथाम हेतु सम्प्रति लागू लॉकडाउन की स्थिति में सार्वजनिक परिवहन पूर्णतः बन्द है। ऐसी स्थिति में राज्य से बाहर अन्य राज्यों आने वाले मजदूरों, छात्रों एवं अन्य लोगों के अन्तर्राज्यीय आवागमन हेतु भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक–40–03/2020–DM–1(A) दिनांक–29.04.2020 एवं आपदा प्रबंधन विभाग के प्रसंगाधीन पत्र द्वारा आवश्यक निर्देश निर्गत किए गए हैं।

विभिन्न राज्यों से बिहार राज्य की सीमा पर आने वाले अप्रवासी मजदूरों, छात्रों एवं अन्य लोगों को **Dedicated** वाहन द्वारा उनके गंतव्य तक पहुँचाने का निदेश है। ऐसे लोगों को सुरक्षित परिवहन हेतु प्रोटोकॉल निम्नवत होगा:–

1. सीमावर्ती जिले से मेडिकल स्क्रीनिंग कर लोगों को सीधे गंतव्य जिले तक पहुँचाया जाएगा। गंतव्य जिला में लोगों को उतारने के बाद खाली बस वापस संबंधित सीमावर्ती जिला की ओर दूसरे ट्रिप हेतु वापस लौट जाएगी।
2. गंतव्य जिला द्वारा लोगों को सम्बन्धित प्रखंड के **quarantine** केन्द्र पर अन्य वाहनों से पहुँचाया जाएगा।
3. किसी जिला के लोगों की संख्या कम होने की स्थिति में सीमावर्ती जिला रूट का निर्धारण कर एक से अधिक जिला के लोगों को भी एक बस में एक साथ भेजेंगे। भिन्न रूट होने की स्थिति में पटना, मुजफ्फरपुर, गया, छपरा एवं दरभंगा में **transit point** होगा। **Transit point** के जिलाधिकारी वहाँ आए लोगों को संबंधित जिला में भेजेंगे।

Scanned with CamScanner

4. लोगों के जतंदेचवतज वचमतंजपवद के क्रम में प्रत्येक स्थल यथा–सीमावर्ती जिला एवं गंतव्य जिला दोनों स्थलों पर लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर, कहाँ से आए हैं इत्यादि सूचनाएँ पंजी में संधारित की जाएँगी।

उपर्युक्त के आलोक में आपके स्तर से जिले में निम्नलिखित व्यवस्थाएँ सुनिश्चित की जानी है:–

1. जिला में एक वाहन कोषांग का गठन आज ही कर लिया जाय, जिसके वरीय पदाधिकारी के रूप में अपर समाहर्त्ता स्तर के पदाधिकारी एवं नोडल पदाधिकारी जिला परिवहन पदाधिकारी को बनाया जाय। नोडल पदाधिकारी एवं वरीय पदाधिकारी का नाम, पदनाम एवं मोबाइल नंबर की सूचना विभाग को अविलंब भेजी जाय। टीम में आवश्यकतानुसार पुलिस पदाधिकारी/अन्य पदाधिकारी एवं अन्य कर्मी भी रखें।

2. कोषांग हेतु ऐसे स्थल/स्थलों को चिन्हित किया जाय जो Social distancing के दृष्टिकोण से उपयुक्त हो एवं यथासंभव मुख्य शहर से बाहर अवस्थित हो। साथ ही चाहरदीवारी युक्त हो ताकि आने एवं जाने वाले लोगों पर नियंत्रण रखा जा सके। वहाँ ड्राइवर, यात्रियों के अस्थायी/स्थायी ठहराव हेतु पर्याप्त जगह हो। इस हेतु बस स्टैण्ड का चयन उचित नहीं होगा।

3. वाहन कोषांग में पर्याप्त संख्या में बड़े, मध्यम एंव छोटे वाहनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि आवश्यकतानुसार उन्हें सीमावर्ती जिलों में भेजकर राज्य के बाहर से आए लोगों को जिलों में लाया जा सके एवं छोटे वाहनों से उन्हें गंतव्य प्रखंड तक पहुँचाया जा सके।

4. वाहन कोषांग में प्राप्त वाहनों का लॉग बुक संधारित किया जाय एंव ईंधन, खोराकी आदि की आवश्यकतानुसार आपूर्ति कर वाहनों को तैयार स्थिति में रखा जाय। वाहनों का अंतिम भुगतान जिस जिले द्वारा लॉग बुक खोला गया है उसी जिला से होगा।

5. वाहनों के मूवमेन्ट हेतु सीमावर्ती जिलों द्वारा गंतव्य स्थल के लिए ईंधन की आपूर्ति की जाएगी। पुनः वाहनों की वापसी के लिए गंतव्य जिला द्वारा उसी लॉग बुक पर ईंधन की आपूर्ति की जाएगी एवं उसका लेखा लॉग बुक पंजी में संधारित किया जाएगा। तथा अपने यहाँ उसकी फोटो कॉपी रखेंगे।

6. वाहनों के समुचित Sanatization की व्यवस्था दोनो स्थानों पर की जाय।

7. ड्राइवर एवं कण्डक्टर के लिए मास्क, हैण्ड ग्लोब्स एवं सेनेटाइजर की व्यवस्था प्रत्येक ट्रिप के लिए की जाय।

8. वाहनों से लोगों के परिवहन के क्रम में Social distancing का पालन किया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि किसी परिस्थिति में वाहनों में ओवरलोडिंग न हो, तथा सभी यात्री मास्क पहने।

9. सभी जिला में Transportation की मोनिटरिंग हेतु एक नोडल पदाधिकारी एवं एक सहायक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाय। एवं उनका नाम, पदनाम तथा मोबाइल नंबर share किया जाय।

Scanned with CamScanner

10. सीमावर्ती जिला द्वारा लोगों की संख्या के अनुरूप, बसों को जिलावार tag करेंगे एवं उनके प्रस्थान की सूचना, लोगों की सूची,बस संख्या तथा चालक/कन्डक्टर के मोबाइल संख्या एवं प्रस्थान के समय सहित गंतव्य जिला के नोडल पदाधिकारी को भेजेंगे। गंतव्य जिला के नोडल पदाधिकारी उन लोगों के आगमन का एक acknowledgement हस्ताक्षर एवं मुहर के साथ देंगे।

11. वाहन के साथ स्कोर्ट रहेगी ताकि लोग गंतव्य जिले के वाहन कोषांग स्थान के अतिरिक्त कहीं अन्यत्र न उतरें। बस चालक के पास भी जिला प्रशासन द्वारा सीलमुहर युक्त यात्रियों की सूची उपलब्ध रहे।

12. वाहन कोषांग में आवश्यकतानुसार टेन्ट, प्रकाश, माइकिंग, पेयजल आदि की व्यवस्था की जाय।

13. वाहनों के ड्राइवर/कण्डक्टर एवं यात्रियों के लिए आवश्यकतानुसार भोजन, पानी इत्यादि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।

14. रात्रि 08:00 बजे से प्रातः 06:00 बजे तक सीमावर्ती जिला से गंतव्य जिला के लिए कोई वाहन प्रस्थान नहीं करेगा।

15. सीमा पर प्रत्येक आने वाले व्यक्ति के हाथ पर quarantine की मुहर लगाएँ।

16. उक्त व्यवस्थाओं में होने वाले व्यय का वहन आपदा प्रबंधन शीर्ष के अंतर्गत "जनसंख्या निष्क्रमण मद" से किया जाएगा।

अनुरोध है कि उपरोक्त निदेशों/प्रोटोकॉल के आलोक में ससमय कार्रवाई करने की कृपा की जाय। साथ ही यह भी अनुरोध है कि भारत सरकार गृह मंत्रालय के पत्रांक–40–03/2020–DM–1(A) दिनांक–29.04.2020 एवं आपदा प्रबंधन विभाग का पत्रांक–01/प्रा0आ0(COVID-19)–15/2020/1520/आ0प्र0, पटना दिनांक–30.04.2020 में वर्णित निदेशों का भी अक्षरशः पालन करने की कृपा की जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन,

सचिव 30/4

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2349 पटना, दिनांक– 30.04.2020.

प्रतिलिपि– सभी जिला परिवहन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव 30/4

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2349 पटना, दिनांक– 30.04.2020.

प्रतिलिपि– प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

D/2019-20/jt/Sec

Scanned with CamScanner

सचिव 30/4

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2349 पटना, दिनांक– 30.04.2020.

प्रतिलिपि– अपर मुख्य सचिव, गृह विभाग/पुलिस महानिदेशक, बिहार/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी पुलिस महानिरीक्षक/सभी पुलिस उप महानिरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव 30/4

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– 2349 पटना, दिनांक– 30.04.2020.

प्रतिलिपि– मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव 30/4

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

D/2019-20/jt/Sec

Scanned with CamScanner